निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 162 / 2024
दायरा दिनांकः–20.11.2024
निर्णय दिनांकः– 22.1.25

उनवान

कमलेश कुमार आयु 56 वर्ष आत्मज ग्यारसीलाल जाति सुनार निवासी शास्त्री नगर छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91ए, आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 22.1.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश कुमार गालव – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91ए आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 395 खसरा नम्बर 443 रकबा 4.2365 हैक्टयर भूमि वाके माल कडैयावन पटवार हल्का कडेयावन तहसील छबड़ा में वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है, जिसको आगे वाद पत्र मे वाद ग्रस्त सम्पत्ति के नाम से संबोधित किया जायेगा। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में खातेदार के रूप मे वादी का नाम दर्ज है, लेकिन साथ मे रिज्यूमेशन (रिज्यूम) राजस्व रिकार्ड मे वर्तमान में दर्ज जमाबंदी हो रहा है। खातेदार बद्रीलाल पुत्र मदनलाल कोम ब्राहम्ण सा. छबडा ने वाद ग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी एव वादी की मां श्रीमती चमेलीबाई पत्नि ग्यारसीलाल के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से बेचान कर दी थी जिसका नामान्तरण संख्या 580 से वादी एवं उसकी मां के खातेदारी में नाम दर्ज करने का आदेश हुआ। उस समय वादग्रस्त भूमियात मे रिज्यूम दर्ज नही था। नकल जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 वाद के साथ प्रस्तुत है। परन्तु आगे चलकर वर्तमान जमाबंदी मे खातेदार के नाम के साथ रिज्यूम दर्ज हो रहा। वर्तमान जमाबंदी पेश है। वाद ग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी खातेदार के नाम के साथ रिज्यूम दर्ज होने से वादी उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से उन्नत नहीं कर पा रहे है। तथा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओ का लाभ भी नहीं ले पा रहे है। जिससे वादी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाद ग्रस्त भूमि में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड मे पुर्व से रिज्यूम शब्द दर्ज नहीं था। लेकिन बाद में तहसील कर्मचारियो द्वारा रिज्यूम शब्द दर्ज करा दिया गया। वादी अपने नाम के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

साथ राजस्व रिकार्ड में अंकित रिज्यूम शब्द को हटवाने का कानूनन अधिकारी है। राज भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत माफी भूमियो/जमीनो पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। इस कारण अब राजस्व रिकार्ड में माफियात / रिज्यूमेशन / रिज्यूम एक अनावश्यक अकन है। राजस्व रिकार्ड में पहले माफियात का अकंन होता था। इस एक्ट के प्रावधान लागू होने पर माफियात रिज्यूम हो गई तो माफियात रिज्यूमेशन / रिज्यूम के नोट लगा दिये गये थे जिन्हें राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में हटाना जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनाक 17/10/2024 को पेदा हुआ जब वादी ने प्रतिवादी के यहां रिज्यूम शब्द हटवाने बाबत निवेदन किया तो उन्होंने श्रीमान न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। और रिज्यूम हटाने से मना कर दिया अतः यही दिनाक बिनाय दावा कायम की जाती है। वाद पेश करने से पूर्व राज० सरकार जये जिला कलेक्टर महोदय. बारां एंव श्रीमान तहसीलदार साहब छबडा को 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जो दिया जा चुका है। परन्तु वाद अर्जेन्ट नेघर का होने से यह वाद धारा 80 (2) सी.पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 411 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 395 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 377 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 357 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 311 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 308 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 301 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2042–45 खाता संख्या 296 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2037–40 खाता संख्या 282 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2033–36 खाता संख्या 244 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2029–32 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 129 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2017–20 खाता संख्या 134 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2013–16 खाता संख्या 208 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2012 खाता संख्या 202 नकल खातोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 202 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 कमलेश कुमार सोनी के बयान कराये गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा में स्थित है। जो वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है विवादित आराजी में खातेदार के रूप में वादी का नाम दर्ज है परन्तु साथ में रिज्यूमशन दर्ज है उक्त भूमि वादी ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पत्र से वादी व उसकी मां ने खरीद की थी। उस समय विवादित भूमि में रिज्यूम दर्ज नही था आगे चल कर व वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार के नाम के साथ रिज्यूम दर्ज हो रहा है राजस्व रिकार्ड जमबान्दी में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खातेदार के नाम के साथ रिज्यूम दर्ज होने से वादी अपनी भूमि को किसी भी प्रकार से उन्नत नही कर पा रहा है जिससे वादी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है विवादित आराजी में पूर्व में रिज्यूमशन दर्ज नही था लेकिन वाद में सहवन से रिज्यूम शब्द दर्ज हो गया है वादी अपने नाम के साथ दर्ज रिज्यूम शब्द को हटवाना चाहता है राज0 भूमि सुधार तथा जागीर पूर्नग्रहण अधिनियम 1925 के प्रावधानों के अन्तर्गत माफी/जमीनों पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है इस कारण राजस्व रिकार्ड में माफियात/रिज्यूमशन/रिज्यूम एक अनावश्यक अंकन है राजस्व रिकार्ड में पहलें माफियात का अंकन होता था इस एक्ट के प्रावधान लागू होने पर माफियात रिज्यूम हो गई तो "माफियात रिज्यूमशन/रिज्यूम" के नोट लगा दिये गये जिन्हे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हटाया जाना आवश्यक है प्रार्थी/वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम कडैयावन की आराजी खाता संख्या 411 खसरा नम्बर 443 रकबा 4.2365 है0 भूमि वादी कमलेश पुत्र ग्यारसीलाल जाति सोनी निवासी छबडा के नाम माफियात रिज्यूमशन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर उक्त भूमि नामान्तरण संख्या 580 से कमलेश कुमार पुत्र ग्यारसीलाल, चमेलीबाई पत्नि ग्यारसीलाल के नाम जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तब से ही वादी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है खतोनी बन्दोबस्त के खाता संख्या 202 खसरा नम्बर 443 रकबा 16.15 बीघा भैरूलाल पुत्र मन्नालाल कोम ब्राहम्ण सा0देह छबडा माफीदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तहसीलदार द्वारा कथन में बताया गया कि राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमशन दर्ज होने से खाते में लोन जमा का रहन, बेचान हक त्याग आदि के नामान्तरकरण नही करवा सकतें। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 की धारा 9 में खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गयें है जिसका नोटिफिकेशन दिनाक 19.06.1958 के Gazette में किया गया है खातेदार के हित में उक्त आराजी से नियमानुसार रिज्यूमशन हटाया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 411 खाता संख्या 395 खाता संख्या 377 सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 357 में रिज्यूम कमलेश कुमार पुत्र ग्यारसीराम कोम सोनी सा0देह छबडा दर्ज था। नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 311 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 308 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 301 में कमलेश पुत्र ग्यारसीराम व श्रीमति चमेली बाई पत्नि ग्यारसीराम जाति सोनी दर्ज होना पाया जाता है खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन दज नही है नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2042–45 खाता संख्या 296 सम्वत् 2037–40 खाता संख्या 282 सम्वत् 2033–36 खाता संख्या 244 सम्वत् 2029–32 खाता संख्या 225 में खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बद्रीलाल पुत्र मदनलाल कोम ब्राहम्ण सा0देह छबडा दर्ज होना पाया जाता है। खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज नही है। नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 129 सम्वत् 2017–20 खाता संख्या 134 सम्वत् 2013–16 खाता संख्या 208 सम्वत् 2012 खाता संख्या 202 एवं खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 में भैरूलाल पुत्र पन्नालाल जाति ब्राहम्ण सा0देह छबडा दर्ज है इससे यह साबित होता है कि सम्वत् 2012 से सम्वत् 2020–54 तक खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज नही था। सम्वत् 2058 से खातेदार के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज किया गया है वादी द्वारा विवादित आराजी खातेदार बद्रीलाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 में नामान्तरण संख्या 580 से कमलेश कुमार पुत्र श्रीमति चमेलीबाई पत्नि ग्यारसीराम सोनी निवासी छबडा के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है।

इस वाद को निर्णत करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 विचाराधीन है :–

<u>जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :–</u> "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

<u>आ0टी0एक्ट की धारा–15 :–</u> प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादीगण जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर. टी. एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदार कृषक होना साबित होता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा के खाता संख्या 395 के खसरा नम्बर 443 रकबा 4.2365 है0 भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 162 / 2024	धारा 88,89,91ए, आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 22.1.25

क्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री राकेश कुमार गालव—वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः—

वाद शीर्षक

उनवान

कमलेश कुमार आयु 56 वर्ष आत्मज ग्यारसीलाल जाति सुनार निवासी शास्त्री नगर छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा के खाता संख्या 395 के खसरा नम्बर 443 रकबा 4.2365 है0 भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द को हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 22.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		